बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6/एन0–08–121/2023–......... /पटना–15, दिनांक–..................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–1142(6), दिनांक–19.07.2023 के माध्यम से राईट पाथ फाउण्डेशन, 201 आर0 इनक्लेव, रोड नं0–3/331, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना–800013 द्वारा संचालित माता सुशीला इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, सैयद बहरी, हिलसा, चण्डी रोड, नालन्दा अंतर्गत ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि हेतु मान्यता प्रदान करने के लिए उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, सुविधाओं एवं संसाधनों की भारतीय उपचर्या परिषद एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप जाँच हेतु डॉ0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

2–विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉ0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–267/अ0नि0को0, दिनांक–18.10.2023 के माध्यम से उक्त संस्थान के निरीक्षणोपरान्त सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अवधी विस्तार किया जा चूका है।

3–विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त माता सुशीला इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, सैयद बहरी, हिलसा, चण्डी रोड, नालन्दा का भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप भौतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं अन्य सुविधाएँ पाये जाने के फलस्वरूप ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित सीटों की संख्या में वृद्धि करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 100 (एक सौ) सीट पर नामांकन लेने हेतु जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, नालन्दा समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) संस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, नालन्दा तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

क्रमशः

ज्ञापांक : 6/एन0–08–121/2023 178(6) पटना दिनांक– 18/01/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालन्दा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, राईट पाथ फाउण्डेशन, 201 आर0 इनक्लेव, रोड नं0–3/331, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना–800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.1.24

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–120 / 2023–.......... /पटना–15, दिनांक–....................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–940(6), दिनांक–14.06.2023 के माध्यम से राईट पाथ फाउण्डेशन, 102 द्रोपदीकुंज, न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना द्वारा संचालित गौतम इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल, भागनबिगहा, बिहारशरीफ, नालन्दा–803118 अंतर्गत ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि हेतु मान्यता प्रदान करने के लिए उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, सुविधाओं एवं संसाधनों की भारतीय उपचर्या परिषद एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप जाँच हेतु डॉ0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

2–विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉ0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–209 / अ0नि0को0, दिनांक–24.08.2023 के माध्यम से उक्त संस्थान के निरीक्षणोपरान्त सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अवधी विस्तार किया जा चूका है।

3–विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त गौतम इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल, भागनबिगहा, बिहारशरीफ, नालन्दा–803118 का भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप भौतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं अन्य सुविधाएँ पाये जाने के फलस्वरूप ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित सीटों की संख्या में वृद्धि करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 100 (एक सौ) सीट पर नामांकन लेने हेतु जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, नालन्दा समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र / छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना / बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, नालन्दा तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

क्रमशः

ज्ञापांक : 6/एन0–08–120/2023.....177(6)   पटना दिनांक– 18/01/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालन्दा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, गौतम इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल, भागनबिगहा, बिहारशरीफ, नालन्दा–803118 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.1.24

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6/एन0–08–03/2022–176(6) /पटना–15, दिनांक–18/01/2024

विभागीय आदेश ज्ञापांक–22503/2022, दिनांक–27.04.2022 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में बाबा केदारनाथ एजुकेशनल ट्रस्ट, कुशलपुर हाल्ट, डुमरांव, बक्सर द्वारा प्रस्तावित बाबा केदारनाथ नर्सिंग कॉलेज (ए0एन0एम0), कुशलपुर हाल्ट, भोजपुर कदीम, डुमरांव, बक्सर–802133 को ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–1297(6), दिनांक–08.08.2023 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 असीम कुमार दास, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के पत्रांक–27/अ0नि0को0, दिनांक–11.09.2023 द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त बाबा केदारनाथ नर्सिंग कॉलेज (ए0एन0एम0), कुशलपुर हाल्ट, भोजपुर कदीम, डुमरांव, बक्सर–802133 को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में ए0एन0एम0 पाठयक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त कर लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

18.1.24

(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

क्रमश

ज्ञापांक : 6/एन0–08–03/2022...176(6)   पटना दिनांक 18/01/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, बाबा केदारनाथ नर्सिंग कॉलेज (ए0एन0एम0), कुशलपुर हाल्ट, भोजपुर कदीम, डुमरांव, बक्सर–802133 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18-1-24

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–216 / 2023–175(6) / पटना–15, दिनांक–18/01/2024

बी0एन0आर0सी0 आदेश ज्ञापांक–3076 / बी0एन0आर0सी0, दिनांक–18.10.2021 के माध्यम से तथागत मिशन ट्रस्ट, बोरिंग रोड, पटना द्वारा संचालित आहे प्रोफेशनल इन्स्टीच्यूट, जमसौत, आर0के0 पूरम रोड, मठियापुर, दानापुर, पटना अन्तर्गत ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के अवधि विस्तार एवं सीट वृद्धि हेतु डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

2–विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–146 / अ0नि0को0, दिनांक–15.12.2021 के माध्यम से उक्त संस्थान के निरीक्षणोपरान्त सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अवधि विस्तार किया जा चुका है।

3–विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त आहे प्रोफेशनल इन्स्टीच्यूट, जमसौत, आर0के0 पूरम रोड, मठियापुर, दानापुर, पटना का भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप भौतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं अन्य सुविधाएँ पाये जाने के फलस्वरूप ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित सीटों की संख्या में वृद्धि करते हुए 100 (एक सौ) सीट पर नामांकन लेने हेतु जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, पटना समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र / छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) संस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना / बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

18.1.24

(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

क्रमशः

ज्ञापांक : 6/एन0–08–216/2023...175(6) पटना दिनांक–18/01/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001/आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, आहे प्रोफेशनल इन्स्टीच्यूट, जमसौत, आर0के0 पूरम रोड, मठियापुर, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ

18.1.24

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–38 / 2020–......... / पटना, दिनांक–....................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–643(6), दिनांक–06.06.2021 द्वारा एस0के0 ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साईस, एन0एच0–28, हरिशंकर मनियारी, पोस्ट–सिलौत, मुजफ्फरपुर–843119 को 60 सीटों पर नामांकन के साथ बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी।

पुनः संस्थान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1180(6), दिनांक–24.07.2023 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के निरीक्षणोपरान्त अध्यक्ष डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा पत्रांक–312 / अ0नि0को0, दिनांक–08.11.2023 के माध्यम से समर्पित संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विवेकानन्द डेवलपमेंट फाउण्डेशन, मीरापुर (पी0ओ0), भाया–ढोली, मुजफ्फरपुर–843121 द्वारा संचालित एस0के0 ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साईस, एन0एच0–28, हरिशंकर मनियारी, पोस्ट–सिलौत, मुजफ्फरपुर–843119 में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन हेतु 60 (साठ) सीटों से बढ़ाकर 100 (एक सौ) सीटों पर नामांकन क्षमता के साथ नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(iii) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ मान्यता प्रदान किया जाता है:–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र / छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) नर्सिंग संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / —
(शैलेश कुमार)
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6 / एन0–08–38 / 2020...172(6) पटना दिनांक 15/01/2024

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020 / निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना / क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, विवेकानन्द डेवलपमेंट फाउण्डेशन, मीरापुर (पी0ओ0), भाया–ढोली, मुजफ्फरपुर–843121 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/1/24
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–21 / 2020–.......... / पटना, दिनांक–....................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–290(6), दिनांक–03.03.2021 द्वारा एस0के0 ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साईंस, एन0एच0–28, हरिशंकर मनियारी, पोस्ट–सिलौत, मुजफ्फरपुर–843119 को 60 सीटों पर नामांकन के साथ ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी।

पुनः संस्थान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1179(6), दिनांक–24.07.2023 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के निरीक्षणोपरान्त अध्यक्ष डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा पत्रांक–311 / अ0नि0को0, दिनांक–06.11.2023 के माध्यम से समर्पित संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विवेकानन्द डेवलपमेंट फाउण्डेशन, मीरापुर (पी0ओ0), भाया–ढोली, मुजफ्फरपुर–843121 द्वारा संचालित एस0के0 ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साईंस, एन0एच0–28, हरिशंकर मनियारी, पोस्ट–सिलौत, मुजफ्फरपुर–843119 में ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु 60 (साठ) सीटों से बढ़ाकर 100 (एक सौ) सीटों पर नामांकन क्षमता के साथ नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(iii) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ मान्यता प्रदान किया जाता है:–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र / छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) नर्सिंग संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / —
(शैलेश कुमार)
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6 / एन0–08–21 / 2020.. 171(6) पटना दिनांक 15/01/2024

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ला, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020 / निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना / क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, विवेकानन्द डेवलपमेंट फाउण्डेशन, मीरापुर (पी0ओ0), भाया–ढोली, मुजफ्फरपुर–843121 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।